राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
- 6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8589/2021 Smt. Meenakshi Parashar, MIG 9, Vipatpura Housing Board Colony, Dist. Narsinghpur, MP - 487001, MP. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at at Khasra No. - 163/2, Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP)Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP). (Category – 7(da) (CBWTF Project) Env. Con. - Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana.

This is case of Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by the PP and their consultant in 554<sup>th</sup> meeting dated 23.02.2022, wherein the case was presented by Env. Consultant Shri G. K. Mishra from M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana on behalf of PP, wherein PP submitted following points wrt information desired in the SEAC 507th meeting dated 10.08.2021:

• The fresh water requirement is less than 10 KLD for that water abstraction NOC from CGWA will not be required. Copy of guideline will be submitted at

- the time of EIA. Construction water will be purchased by the private water tanker suppliers.
- Proposal made for this project with the area of 5390 sq. meters out of this 4050 sq. meters area is dedicated for entire industrial activities and diverted accordingly and rest of the area will be developed under plantations on behalf of the project to reduce all type of pollution load and to build a green plant.

Following details were submitted by the PP during presentation:

- Proposal is to establish Common Bio- Medical Waste Treatment Facility at Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP) to provide cleaner and healthier environment by adhering to the provisions of Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1998 as amended in 2000 and making a contribution in protecting our environment.
- The project is proposed at Village Biner, Tehsil Kareli, District Narsinghpur (Madhya Pradesh) over an area 5390 Sq.mt. (1.32 Acre).
- The project involves development of Common Bio Medical Waste Treatment Facility which is categorized under Item 7 (d) (a) of the Schedule-Gazette Notification dated 17th April 2015.
- 3 types of treatment options shall be provided in Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF) as Incineration, Autoclaving & Shredding.
- Sharp pit is also been provisioned for the encapsulation of Sharps such as Needles, Scalpels etc
- Effluent Treatment Unit: for the treatment of Effluent generated during the process of Bio-Medical waste Treatment, Floor Washing and Vehicle Washing etc.

The treated bio-medical waste shall be disposed of as per following:

- Disposal:
  - o Incineration ash: Secured landfill
  - Plastic waste after disinfection and shredding: Recycling or municipal landfill
  - o Disinfected Sharps: encapsulation
  - Other treated solid wastes: Municipal landfill/TSDF
  - o Sewage Sludge, Oil & grease: Incineration
  - Treated waste water: recycling, washing & cleaning of Vehicles and use in green belt.

#### • Salient Features of the Project

Name of the project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF)			
Promoter	Mrs. Meenakshi Parashar			
Location of Industry	Village – Biner, Tehsil – Kareli, District – Narsinghpur, MadhyaPradesh			
Total Plot Area	5390 Sq.mt	.(1.32 Acre) or <b>53</b>	90 Sq.mt.	
Open Area	809.23 sq.m	ıt.		
Green Area	1138.66 sq.	mt.		
Capacity	• 1 No. • 1 No.	<ul> <li>1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry)</li> <li>1 No. Autoclave of capacity 100 kg/hr</li> <li>1 No. Shredder of capacity 100 kg/hr each</li> <li>ETP Capacity – 7.5 KLD (MBBR)</li> </ul>		
Waste Water Generation	7.1 KLD			
ETP	7.5 KLD			
Treated Water from the unit	5.68 KLD (Reuse 5 KLD Landscaping & 0.68 Misc. Purpose.)			
Power Requirement	Approx. 42 kVA for operation phaseSupply source – (MPEB) Back up- DG. Set of 200 KVA as standby.			
Water Requirement	Approximately 5 KLD of water required during construction of the unit from Private water tankers.			
	Water Dema	nd in Operational	Phase:	
	S.no.	Particulars		Demand in KLD
	1.	Domestic Water Requirement		1.00
	2.	Process Requirement	Water	3.00
	3.	Vehicle Washing	)	6.00
	4.	Landscaping		5.00
	Total Water 15 KLD Demand		15 KLD	
Manpower Requirement	50 persons			
Estimated Project cost	Rs. 0.95 Crores			
Nearest Railway Station	Narsinghpur Railway Station – 14.19 km in NE direction.			
Nearest Highway	NH2B- 9.63 Km (NE)			

Nearest Airport	Jabalpur Airport– 101.68 Km in NE direction away from the
	site
Coordinates	22°51'40.26"N, 79° 6'22.64"E

After presentation the Committee after deliberations decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TORs as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- 1. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- 2. Carbon foot print study with quantification & mitigation measures.
- 3. BMW quantification with justification for expansion facility.
- 4. Explore the possibility for in-house lab in the premises.
- 5. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- 6. Proposal for GPS enable vehicles, their route maps and stack height etc.
- 7. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- 8. Justify in EIA report that the proposed technology is "Best Available Technology" of CBWTF and also how unit will remain zero discharge.
- 9. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- 10. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- 11. Detail of power supply in the construction & operation phase.
- 12. How much HSD for DG set will be stored at the site?
- 13. PP shall obtain CTE from the MP Pollution Control Board and same shall be appended with EIA report.
- 14. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- 15. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance with control measures proposed for mitigation of odour nuisance shall be discussed in the EIA report.
- 16. Detailed layout of various proposed facilities with their capacities and design criteria shall be discussed in the EIA report.
- 17. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.

PP has submitted the online EIA report on Parivesh portal which was forwarded by SEIAA to SEAC on dated 08/07/2022.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Rahul Yadav, M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram, Haryana with PP's authrised representative Mr. U.S. Parashar H/o Mrs. Meenakshi Parashar.

During presentation PP submitted that they are proposing this biomedical waste treatment and disposal facility only for one district i.e. Narsinghpur. PP further submitted that as per CPCB guidelines no facility is sitiuated within 75 Kms radius of this facility and expected load is off approx 1950 beds. During discussion committee enquired that if the proposal is for 200 kg/hr incineration and expected waste from 1950 beds is appeax 500kg/day, how system will sustain and waste will be incinerated. During appraish it was obserbed by the committee that the site is not in industrial area thus PP shall justify the location criteria as per CPCB guidelines and measures proposed for all sensitivity features 500 meters aroud the proposed site. After discussion, PP was asked to submit following details/information:

- 1) If the proposal is for 200 kg/hr incineraton and expected waste from 1950 beds is appeax 500 kg/day, how waste will be incinerated s per CPCB protocol and system will sustain (technically & financially).
- 2) Commitment of PP that this proposed biomedical waste treatment and disposal facility is only for one district i.e. Narsinghpur.
- 3) The proposed site is not in industrial area thus please justify the location criteria as per CPCB guidelines and protection measures proposed considering "Best Available Technology" for all sensitivity features 500 meters
- 4) Complete list of HCF of 1950 beds addressed in the Gap analysis.
- 5) Revised CER programme as suggested by committee with time schedule for its completion.
- 6) Revised plantation species as suggested by committee.
- 2. <u>Case No 8817/2021 Smt. Dolly Sharma W/o Shri Raman Sharma, Near Kajol Talkies, Falka Bazar, Lashkar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (27048 Cum per annum) (Khasra No. 3921), Village Biloua, Tehsil Dabra, Dist. Gwalior (MP) Env. Consultant Apex Min Tech. Udaypur, Rajasthan</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 534वीं दिनांक 15/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 21 / 07 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती डोली शर्मा (आन लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से कोई पेड नहीं काटा जायेगा क्योंकि दोनों ही पेड 7.5 मीटर के बैरियर जोन में है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पूर्वी भाग से 95 मीटर तथा दक्षिण भाग से 80 मीटर की दूरी पर जलाशय है, तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 80 मीटर की दूरी एच.एफ.एल. से हैं तथा उनके द्वारा म.प्र. एम.एम.आर., 1996 के अनुसार तालाब से 100 मीटर की दूरी छोड़ने हेतु दक्षिण भाग में 20 मीटर का सेट-बैक खदान के अंदर प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान विद्यालय में खेल कूद की सामग्री, स्ट्रीट लाईट की व्यावस्था, ग्रामीणों के लिये कृषि प्रशिक्षण शिविर, मेडिकल चेकअप केंप इत्यादि कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है किंतु प्रभारी खनिज अधिकारी, ग्वालियर ने पत्र दिनांक 21 / 10 / 21 में यह उल्लेखित किया है कि इस स्वीकृत खदान के विवरण नई जिला सर्वेक्षण में दर्ज किये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण सरल क्रमांक-176 पर दर्ज है किंतू यह जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी सिया द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म-2 में उल्लेखित विवरणों में सुधार की आवश्यकता है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−14.6 में भू−जल का स्तर 170 मीटर से 175 मीटर दर्शाया गया है
  जबिक ई.आई.ए. रिपोर्ट में यह 55 से 60 मीटर दर्शाया गया है, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।
- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−17.1 में एम.एस.डब्लू की कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा माईन वेस्ट का मोड आफ डिस्पोजल अथोराईज्ड रिसाईकलर दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।
- √ फार्म—2 के बिंदु क्रमांक—30 (3) में वाटर वाडी से दूरी 1.32 (संभवतः किलोमीटर) में दर्शायी
  गई है जबिक गूगल इमेज ( इमेज नवम्बर, 21) के अनुसार वाटर बाडी दक्षिण दिशा में 77
  मीटर की दूरी पर हैं, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये ।
- √ फार्म—2 के बिंदु क्रमांक—35 (11) में खदान की प्रस्तावित गहराई 30 मीटर दर्शाई गई है तथा उपलब्ध खनन् योग्य क्षेत्र 0.75 है तथा जलाशय के कारण दक्षिण दिशा में 20 मीटर का सेट—बैक भी छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है । अतः कृपया बतायें कि किस प्रकार

उपलब्ध खनन् योग्य क्षेत्र में 30 मीटर की गहराई प्राप्त की जायेगी तथा मेन एण्ड मशीन डिप्लॉयमेंट हेतु पिटवॉटम में कितनी जगह उपलब्ध होगी ।

- √ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।
- √
  सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

# 3. Case No 8307/2021 Smt. Sangeeta Patidar W/o Shri Sudama Patidar, 49, Happy Villa Colony, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (19400 cum per annum) (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) EIA Consultant-M/s Apex Mintech, Udaipur.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 573वी बैठक दिनांक 28/5/22 में धार जिले का नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ जानकारियों का समावेश कर अद्यतन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 39 की तालिका कमांक 23 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है।

प्रकरण सेक की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता पाटीदार ऑनलाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्वी दिशा में 600 मीटर दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण—पश्चिम दिशा में 125 मीटर पर जल रोकने की संरचना स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकन की संरचना हेतु उनके द्वारा केचडेन्स, गारलेन डेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्व

क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल के अंदर एक शेड दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र के पास स्थित केशर का साइट आफिस है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान केशर से ध्विन प्रदूषण, वृक्षारोपण कार्य एव धूल की समस्या बावत् प्रस्ताव / सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा ताकि धूल की समस्या उत्पन्न न हो । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−17.1 में एम.एस.डब्लू की कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा माईन वेस्ट का मोड आफ डिस्पोजल अथराइज्ड रिसाईकलर दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।
- ✓ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- 4. Case No 9110/2022 M/s Bhopal Municipal Corporation, HFA Cell, 3rd floor, ISBT, Hoshangabad Road, Habibganj, Dist. Bhopal. MP 462011, Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area 28476.00 sqm, Total Built-up Area 74574.02 sqm] at Village Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal, (MP) EIA Consultant: M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area - 28476.00 sqm, Total Built-up Area - 74574.02 sqm] at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP).

In the SEAC 566<sup>th</sup> SEAC meeting dated 23-04-22 the case was presented for TOR violation by PP Mr. Rajiv Kumar, Head Environment, BMC, Bhopal & their Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal wherein following details of the project were presented:

- The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Programme launched by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), in Mission mode envisions provision of Housing for All.
- Rahul Nagar is a multi unit residential PMAY project which is planned in a plot measuring 28476.00 SQM and located at village Rahul Nagar, Kotra Sultanabaad, Tehsil Huzur, District Bhopal (M.P.).

- We have initiated our Building Construction Project in 2 Phases, Phase I of the project involves the construction of 48 Nos. EWS units, 288 Nos. LIG units. The total maximum height of the project will be 27Mts (P+9) and the Phase II of project involves the construction of 120Nos. 4 BHK HIG units, 120 Nos. 3 BHK HIG units, 1 No. Commercial Block (23 Shops, 60 Offices, 4 Halls) The total maximum height of the project will be 45Mts (B1+B2+P+15)...
- The total land area of the proposed project mentioned as 28476.00 SQM (2.8476 ha) [Phase I 11276 Sq.Mt. + Phase II 17200.00 Sq.mt.] and the built-up area as 74574.02 Sq.mt. (Phase I Built up area 18953.28 Sq.mt. + Phase II Built up area 55620.74 Sq.mt.)
- As this is a violation case and about 25.41% area of the project has been constructed without getting environment clearance.
- Baseline study period has been proposed summer 2022 as baseline studies is going on.

#### ENVIRONMENT SENSTIVITY

Sl. No.	Accessibility	Description	Distance (km)	Direction
1	Highway/ Road/ Kacha Rasta	NH-12	2.8	ENE
2	Railway Stations	Bhopal Railway Station	4.9	NNE
3	Airport	Raja Bhoj Airport	8	NW
4	Hospitals	Sharda Hospital	0.5	SW
		Manisha Hospital	1	SW
5	Institutional Buildings	Demonstration School	1	NW
		School	2.3	NW
6	Post office	Post Office	0.8	NE
7	Densely populated/ Settlements/ Habitat	Bhopal		
		Halali Nadi	13.6	WNW
		Bara Talab	2.7	NW
		Chhota Talab	2.1	N
8	Water Courses	Hatiyakheda Dam	10	WNW
		Mansarovar Talab	2.5	SE
		Anjar Nadi	12.2	ENE
		Patara Nadi	3.4	NNE

		Kaliyasot Nadi	2.7	SSE
		Kerwa Nadi	12.6	SSE
		Kaliyasot Dam	2.1	SSE
		Van Vihar National Park	6.9	WNW
	Protected/ Reserved or	Bhopal RF	8.7	SW
9	Sensitive Area	Bhopal PF	13.1	SW
10	Seismic Zone	Seismic Zone II.		

During discussion it was observed by the committee that Hon'ble NGT in OA No. 74/2020 (CZ) and & IA 70/2021 had passed a judgment which shall be complied in toto and detailed plan with budgetary allocations for its implementation shall be incorporated in EMP and discussed in length in EIA report.

After deliberation, Committee considering the GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8<sup>th</sup> March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8<sup>th</sup> March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

- 1. Status report of constriction took place so far and details of possession given till date shall be incorporated in EIA report.
- 2. Hon'ble NGT in OA No. 74/2020 (CZ) and & IA 70/2021 had passed a judgement which shall be complied in toto and detailed plan with budgetary allocations for its implementation shall be incorporated in EMP and discussed in length in EIA report.

- 3. All the orders passed by Hon'ble NGT or any other Hob'ble Courts in this case shall be discussed in EIA report with their compliance status (for issues related to the emvironment) till date or activities proposed to be completed in future with time line and budgetary allocations. Complete set of all order copies with their chronology of events shall also be annexed with EIA report.
- 4. Why project is broken in phases (Phase –I & II) when initially it was sanctioned as one project. Please provide justified reason in EIA report.
- 5. Any tree uprooting took place during the previous construction? If yes, please provide their details, proper addressal and copy of competent authority's permission for tree uprooting.
- 6. Any tree uprooting proposed for the remaining construction? If yes, please provide tree inventory with their number, species, coller girth etc with EIA report.
- 7. Complete drainage plan considering maximum rainfall of the surrounding catchment area shall be discussed in the EIA report to avoid any flooding in future.
- 8. Proposal for dense plantation (minimum 05 rows) with ground flora, middle flore & top story flora as per NGT orders.
- 9. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- 10. Species Plantation and their photographs.
- 11. Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
- 12. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
- 13. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
- 14. Project description, its importance and the benefits.
- 15. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
- 16. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
- 17. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
- 18. Land acquisition status, R & R details (if any).

- 19. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 20. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
- 21. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- 22. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
- 23. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
- 24. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
- 25. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
- 26. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
- 27. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- 28. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- 29. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

PP has submitted the online EIA report on Parivesh portal which was forwarded by SEIAA to SEAC on dated 12/07/2022.

The EIA was presented by PP Mr. Rajiv Kumar, Urban Planner, BMC, Bhopal and "Ms. Riju Bafana, Additional Commissioner, BMC, Bhopal & their Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal. During presentation, PP submitted that the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Programme launched by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), in Mission mode envisions provision of Housing for All. The Mission seeks to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers. Initially it was slum area in which 135 famlies were residing within the project site, at present these families has been shifted at suitable place. Moreover, as for as site construction/ current status of the project is concerned, the activities of Phase-I are completed and in phase II, no work is initiated till date. PP further submitted that out of existing 52 trees, 25 were uprooted after taking permission from the BMC vide SR. 371/374/U.WI. /2018 BHOPAL dated 03.08.2018 and SR. 424/U.WI. /2021 BHOPAL dated 02.12.2021 and tree inventory has been submitted with the EIA report. During presentation it was observed by the committee that PP and consultant has not submitted the damage assessment report, documentary evidence wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21 and proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986. The credible evidence for the total expenditures incurred to construct Phase 1 of the project should also be provided". During presentation it was also deliberated that PP shall submit comprehensive plantation scheme with details of plantation (covering 15m width and 130 meters length with details of species for Top, Middle and Ground flora) other parts of project and compulsatory plantation in lieu of 52 trees proposed to be uprooted. It was also discussed that carbon footprint analysis, Drain carrying capacity & RWH pits considering peak rainfall (worst case scenario), Proposed Green is building code for new block (yet to be constructed), fire NOC, provision of common toilets for workers needs to be elaborated. Committee observed that there are many errors in the EIA report. Thus based on the comments of the committee and after removing all errors, a revised EIA must be submitted by the PP.

After presentation and discussions following information was asked to submit by the PP for further consideration of the project:

- 1. PP shall submit detailed scheme for dense plantation in consultation with CCF, Social Forestry, Bhopal with species for 05 rows plantation in project periphery (minimum 1500 nos) using Miyawalki technique, details of chain link/concrete/brick fencing of the area and open park/land scaping area as suggested by the committee. This area shall not be diverted for any other purpose except for greenery.
- 2. How curtaining of site will be carried out to avoid fugitive emissions for nearby residents.
- 3. Commitment of PP that 25 trees has been uprooted and details of compensatory plantation done till date with their location and credible evidences.
- **4.** Some possession has been allocated. Thus their complete details shall be provided.
- 5. Re-arrange Drainage map 3.6 & 3.6 and infuture their order of attachment shall be same as mentioned in the contents. Similarly, contents of table No. 3.14 shall be justified.
- **6.** Under the worst case scenario PP shall submit carrying capacity of nallah w.r.t. heavy rains and their respective protection plan.
- 7. The baseline analysis report of the water stream (naala) existing about 125 m west of the project is not provided in the EIA report. Either a detailed baseline data is collected in the suitable weather and submitted with the EIA report or data of some authentic official report published/documented recently may be presented.
- 8. Cost of project with documentatry evidances wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21.
- **9.** Proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986.
- **10.** In the EIA report figure/table no. 2.12 & 2.13 not clear hence planning patterns shall be provided with bifurcation of proposed budgetary allocation.
- 11. Assess CO<sub>2</sub> emission & quantification in construction & operation phases from different sources apart from DG sets and their respective management plan w.r.t. carbon foot print.
- **12.** Copy of renewed fire NOC shall be submitted.
- **13.** Proposed Green code for new block shall be provided.
- **14.** Proposal for public utility facility (Washrooms etsc) in the campus.
- **15.** Details of additional TOR point no 26 (Bio diversity) issued by SEIAA.
- 16. Comprehensive Damage Assessment, Remediation Plan and Community Augmentation Plan along with appropriate budgetary allocations in the EMP, as desired in the points 27, 28 and 29 of the existing TOR may be clearly stated in detail.
- 17. Location and details of 5 no. of DG sets, diesel storage and solar panels must be shown on the layout map.

- **18.** A revised, more scientifically credible traffic analysis of existing traffic load and additional traffic load should be presented.
- 19. A satisfactory reply is warranted for TOR point 'c' on page 269 of submitted document. "Looking to the increase of the use of electrical vehicle in recent future, provision for the installation of sufficient number of electrical charging port should be made in the proposed site. This point should be specifically discussed and deliberated in the proposed EIA."
- **20.** A satisfactory reply is warranted for TOR point '24' on page 269 of submitted document. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 21. A satisfactory reply is warranted for TOR point '26' on page 273 of submitted document. "Biological diversity report stating that there is no adverse impact in situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat"
- 5. Case No 9262/2022 M/s Symbiotec Lifesciences Pvt. Ltd, 385/2, Pigdamber, Rau, Dist. Indore, MP 453331. Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Ltd, Village Narwar, Dist. Ujjain. M.P.[Production Capacity 1260 Tonnes per Annum Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals] Env. Consultant Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed project for Clearance for Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Ltd, Village - Narwar, Dist. Ujjain, MP. Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Dyes & Dye Intermediates) Project.

The case was presented by Shri Umesh Mishra, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) and PP Mr. M. N. Shashi (online). During presentation following details were submitted:

- M/s. Symbiotec Lifesciences Pvt Ltd., (SLPL) is Large scale manufacturing facility to be located at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Village: Narwar, Tahsil & Dist- Ujjain -Madhya Pradesh 456664.
- Proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates will be 1260 TPA MT/Annum.
- The project occupies a plot Area of 125816 m<sup>2</sup> of land. The total fixed cost of the project is estimated as INR 56364 lacs

- The major facilities will be Boiler, MEE, Reactors, Cooling Towers, Effluent Treatment Plant (ETP), and R.O Plant. Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation will also be developed as per plan/requirement. The treated water will be used for cooling towers, floor washing and gardening/green belt.
- Total raw water requirement for the proposed project will be 3156 KLD after recycling of 1520 KLD, the net fresh water requirement will be 1636 KLD. The water will be sourced from Ground water resources
- The total wastewater generation from the domestic source will be 100 KLD and industrial wastewater generation will be 1971 KLD. Process effluent will be segregated into concentrated effluent stream 150 KLD and normal effluent stream 1821 KLD.
- Solid waste generated during the manufacturing process and wastewater treatment process is mainly sludge and will be disposed at authorized TSDF facility, as per Hazardous and Other Waste (Management & Trans boundary Movement) Rules, 2008 (Amendment 2016). The unit will take authorization Under Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement), Rules.

S.N.	Component	Details	
1	Name	Symbiotec Lifesciences Private Limited.,	
2	Location	Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Village: Narwar, Tahsil&Dist- Ujjain -Madhya Pradesh – 456664.	
3	Product type	Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals	
4	Project Type	Pharmaceuticals (APIS)	
5	Schedule / Project Activity No as per EIA notification	5 (f)	
6	Category of Project	B1	
7		Area Details in Sq Meter	
i	Total Plot Area	125816.00	
ii	Built up Area	26198.25	
iii	Green belt Area	44035.00	
8		Production Details	
i	Production Capacity	1260.00 MTPA	
9		Budgetary Allocation	
i	Project Cast (In lakhs)	56364.00	
ii	EMP Cast		
	Capital cost (In lakhs)	2115.00	

	Annual recurring cost (In lakhs)	1421.00
iii	CER Activities	100.00
10	Power Requirement	
i	Proposed Connected Load	20 MW
ii	Total Power Requirement	20 MW

S.N.	Component	Detail	S
iii	Source	MPPKVVCL	
11	Fue	l Requirement	
	Proposed		
i	Briquette/Coal for Boilers	80 MTPD (Bioma	ass briquettes)
ii	HSD For DG Set (5000*4 kva) *	10000 liter	s/ day
iii	FO	8000 lit pe	er day
12	D	G Set Details	
i	D.G. Set (4No.)- Proposed	5000 k	va
13	Ut	ility Capacity	
		Capacity	Type of fuel
i	Proposed Steam Boiler (2 Nos)	2x20 TPH each	Biomass briquettes/FO
14	Scr	rubber Details	
i	Alkali Scrubber (35 Nos)	13 met	er
ii	Acidic Scrubber	Nil	
15	Stack Details		
i	Boiler Stack	36 Met	er
ii	Scrubber Stack	13 Meters (4 mytrs	above roof top)
iii	D.G. Set	30 Mete	ers
16		Man Power	
i	Construction phase	200	
	Operation phase	1700	
17	V	Vater Details	
i	Total Water Requirement	3156.00 K	LPD
ii	Recycle water *	1520.00 K	LPD
iii	Actual fresh water requirement	1636.00 KLPD	

S.N.	Component	Details
18	Efflo	uent Details
i	Domestic Effluent	100.00 KLD
ii	Process Effluent	600.00 KLD
iii	Utility, washing and others	1371.00 KLD
iv	Total effluent generation	2071.00 KLD
19	ETP Details	
i	Stream segregation	Effluent will be segregated as High COD/High TDS & Low COD/Low TDS Effluent
ii	High COD/High TDS Effluent	High COD/high TDS Effluent will be treated

		in stripper column followed by MEE with Agitated thin film dryer. The effluent will further be treated in ETP followed by RO system.
iii	Low COD/Low TDS Effluent	Low COD / Low TDS Effluent will be treated in an Effluent Treatment Plant comprising of Primary, Secondary & Tertiary treatment like sand filter carbon filter and then RO system. Effluent further will be treated in RO System The effluent after treatment in ETP and RO system will be reused within the company premises as cooling tower makeup water and boiler feed etc.  The sewage effluent will be disposed off through the Soak Pit, Septic Tank System/CETP send to Municipal Cooperation / In house STP
20	Waste Management	
i	Solid waste, Hazardous waste,	All Haz. waste, solid & other waste will be segregated and properly stored prior to its final disposal would be carried out as per HW Rules, SW Rules & CPCB/MPPCB guideline

During presentation it was observed by committee that within the allotted area on the eastern side some sheds are in existence for which PP submitted that these are old sheds made by the crusher owner and will be dismentalled. Thus their C&D waste details and disposal plan shall be discussed in the EIA report. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

- 1. Within the allotted area on the eastern side some sheds are in existence and same are proposed to be dismentalled. Thus their C&D waste details and disposal plan shall be discussed in the EIA report.
- 2. Being boiler is proposed to be installed, MGLC value of air pollutants shall be studies and discussed in the EIA report.
- 3. PP should provide entire product mix in the EIA report.
- 4. Detailed plant laypout on A3 size map.
- 5. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
- 6. Landuse pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.

- 7. How project will become "Zero Liquid Discharge" shall be discussed in the EIA report with complete details of treatment scheme, their various details and odour nuisance.
- 8. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
- 9. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
- 10. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
- 11. VOC should be monitored in the AAQ.
- 12. All MSDS should be provided with the EIA report.
- 13. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
- 14. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
- 15. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.
- 11. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CSR cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CSR cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 12. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 6. Case No 9264/2022 Ms. Shubhangi Singh, Partner, H-48 Nishant Colony, 74 Banglo, Bhopal, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.30 ha. (25650 cum per annum) (Khasra No. 89/2) Village Bamladad, Tehsil Ichhawar, Dist. Sehore, (MP) Consultant: M/s. Forest Environment and Climate Change Management Consultancy (FECCM), Pvt. Ltd. Bhopal, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 89/2) Village - Bamladad, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore, MP 3.30 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक शुभांगी सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 1793 दिनांक 11/02/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 11.30 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिया के पत्र कमांक 531 दिनांक 23/05/22 द्वारा सिहोर जिले के अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—65 की तालिका कमांक—33 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर—पूर्व दिशा में 10 मीटर पर, उत्तर में 15 मीटर पर कच्चा रोड़, पूर्व दिशा में 285 मीटर पर आबादी तथा दिक्षण दिशा में 150 मीटर पर जलाशय है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान के बीच से भी कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः सेट—बैक के साथ इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान के दिक्षण भाग में पेड़ लगे हैं, अतः इनकी इंवेंट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्ती व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर—पूर्व दिशा में 10 मीटर पर, उत्तर में 15 मीटर पर कच्चा रोड़, पूर्व दिशा में 285 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर जलाशय है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 2. प्रश्नाधीन खदान के बीच से भी कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः सेट-बैक के साथ इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ (गोलाई) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
- 6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

- 7. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

# 7. Case No 9265/2022 Shri Brijmohan Agnihotri, Owner 166, Veer Sawarkar Nagar, LIG Colony, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 375/13) Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam, (MP) Env. Consultant: M/s Apex Min Tech. Udaypur, Rajasthan

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 375/13) Village - Rampuriya, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam, (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजमोहन अग्निहोत्री (ऑनलाइन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, अपेक्स मिनटेक, उदयपुर उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1870 दिनांक 12/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 7.500 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण—पूर्व दिशा में 130 मीटर पर नदी, पश्चिम दिशा में 17 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा 210 मीटर पर जल रोकने की संरचना तथा दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ दिख रहे है, अतः इनकी इंवेंट्री प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है, अतः ई.

आई.ए. के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिमसें इस खदान का विवरण दर्ज हो, प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण—पूर्व दिशा में 130 मीटर पर नदी, पश्चिम दिशा में 17 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा 210 मीटर पर जल रोकने की संरचना तथा दक्षिण दिशा में 75 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है, अतः ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिमसें इस खदान का विवरण दर्ज हो, प्रस्तुत की जाये।
- 3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ (गोलाई) सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. आंवटित खदान क्षेत्र पथरीला है, अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि क्या इस क्षेत्र में वृक्षारोपण संभव है, यदि हॉ तो किस प्रकार किया जायेगा तथा यदि नहीं तो वृक्षारोपण किस जगह किया जायेगा ।
- 6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
- 7. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8. Case No 9266/2022 Shri Sunil Kharche, Prop., Ward No. 15, Gawande Colony, Sausar, Dist. Chhindwara, MP 480106 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.123 ha. (14537 cum per annum) (Khasra No. 271) Village Jamalpani, Tehsil Sausar, Dist. Chhindwara, (MP) Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 271) Village - Jamalpani, Tehsil - Sausar, Dist. Chhindwara, (MP) 2.123 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील खर्चे ऑन लाइन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सुचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 648 दिनांक 19/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आती है। सिया के पत्र क्रमांक 328 दिनांक 10/5/22 द्वारा छिंदवाडा जिले के अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 09 के तालिका क्रमांक 127 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है। (इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सेक की 573वी बैठक दिनांक 28/5/22 द्वारा सिर्फ रेत प्रकरणों से संबंधित कुछ जानकारियों का समावेश कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है)।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांस के आधार पर गुगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 50 मीटर पर तथा पूर्वी दिशा में 25 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः एमएमआर, 1996 अनुसार पक्के रोड़ से 50 मीटर का सेट—बैक छोड़ा जाना होगा, अतः पूर्वी दिशा से 25 मीटर का सेट-बैक दर्शाकर पुनरीक्षित सरफेम मेप प्रस्तुत किया जाये । इसी प्रकार खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा में 270 मीटर ओव्हरहेड टैंक, 260 मीटर पर मकान तथाऐसा प्रतीत होता होता है कि दक्षिण दिशा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है जिसमें वर्तमान में स्थापित एक उद्योग की दूरी लगभग 320 मीटर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वृक्ष न होकर झाडिया हैं, अतः समिति ने उनके फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । प्रस्तुतीकरण के पाया कि खदान के दक्षिण भाग में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है किंतु वर्तमान में उपलब्ध ग्गल इमेज से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खदान के दक्षिण भाग की सीमा से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की दूरी क्या है । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इस औद्योगिक क्षेत्र का ले-आउट गूगल इमेज सुपरइम्पोज कर प्रस्तुत करें तथा यदि खनन् सीमा से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की दूरी 100 मीटर से कम (प्रकरण मुरूम का होने तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित न होने कारण) हो तो उसकी सरंक्षण योजना प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

- ✓ औद्योगिक क्षेत्र का ले—आउट गूगल इमेज सुपरइम्पोज कर प्रस्तुत करें तथा यदि खनन् सीमा से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की दूरी 100 मीटर से कम (प्रकरण मुरूम का होने तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित न होने कारण) हो तो उसकी सरंक्षण योजना प्रस्तुत करें ।
- ✓ खदान के पूर्वी क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि
  यह वृक्ष न होकर झाड़िया हैं, अतः समिति ने उनके फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
- 9. <u>Case No 9268/2022 PRAGNA NAYAK, Owner Village- Gaduli, Tehsil- Meghnagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh-457779 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (19950 cum per annum) (Khasra No. 1043) Village Morjhari, Tehsil Thandla, Dist. Jhabua, (MP).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1043) Village - Morjhari, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है ।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 732 दिनांक 08/6/22 द्वारा झाबुआ जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर) अनुमोदित की गई है किंतु जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लिखत रहने की स्थिति न बने ।

10. Case No 9261/2022 Shri Amar Singh Rajput, Director, Village - Makhani, Tehsil & Dist. Raisen, MP - 464551 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (7291 cum per annum) (Khasra No. 79/3 Part) Village - Sonthar, Tehsil - Goharganj, Dist. Raisen, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79/3 Part) Village - Sonthar, Tehsil - Goharganj, Dist. Raisen, (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए ।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 द्वारा रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है किंतु इस नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लिम्बित रहने की स्थिति न बने ।

11. Case No 9267/2022 Shri D.S. Thakur, Chief Engineer, M/s Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Office of the Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Dist. Jabalpur, MP – 482001. Prior Environment Clearance for Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project located at Tehsil - Udaipura Bankhedi and Kareli, DIst. Raisen, Hoshangabad, Narsimhapur & Jabalpur (MP)., GROSS COMMAND AREA - 154425 Ha., CULTURABLE COMMAND AREA - 131925 Ha.] Env. Consultant: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon Amendment in ToR.

This is case of Prior Environment Clearance for Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project located at Tehsil - Udaipura Bankhedi and Kareli, Dist. Raisen, Hoshangabad and Narsinghapur (MP).

This is a River Valley projects involving < 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA. The application for EC was forwarded by SEIAA to SEAC for Amendment in ToR to carry out EIA and prepare EMP.

The case was presented by PP Shri Ankur Sharma, EE, NVDA and their Env. Consultant Mr. Ravinder Bhatia from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon wherein PP informed that the TOR was earlier issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change vide letter dated 13-04-22. Now, They have applied for TOR amendment with following details:

Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project comprises of two barrage located downstream of Bargi project across the Narmada river. In this scheme water will be

lifted from river Narmada from five pumping locations and distributed through a network of pipelines comprising of Rising Main, Gravity Mains and distribution networks to serve a command of 131925 hectare (CCA) spread over 396 villages of Narsinghpur, Raisen and Hoshangabad districts.

During the detailed survey and investigation, it was found that a very small portion of the submergence (20 ha) is getting extended into the boundary of Jabalpur district, which was not known at the time of obtaining TOR from MoEF&CC. Therefore, TOR amendment is being requested to include Jabalpur district in the project district in addition to Narsinghpur, Raisen and Hoshangabad i.e. there will be public hearing in four districts. All the project features including land requirement remains unchanged. There is no forest land requirement for the project, therefore, diversion of forest land is not required.

PP further stated that there is no change in project features and land requirement, only one district Jabalpur needs to be added to the Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project. There is no forest land requirement for the project. Hence, we request the committee to approve the amendment of TOR to complete the public consultation process in four districts viz. Jabalpur, Narsinghpur, Raisen & Hoshangabad application of appraisal.

The Committee after deliberation accepted the request made by PP and recommended to issue revised ToR with inclusion of district Jabalpur in the proposed the Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project. Remaining conditions for ToR shall remain same as recommended by MoEF&CC, Government of India vide their F. No. J-12011/02/2022-IA.I(R) on dated 13/04/2022.

12. Case No 9171/2022 Shri Kishan Singh Chouhan, Owner, Village - Sada, Tehsil - Bahoribandh, Dist. Katni, MP - 483331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक के ई—मेल दिनांक 09/06/202 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट किये जाने के अनुरोध अनुसार सिया के पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 15/07/22 द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

13. Case No 9190/2022 Shri Pankaj Joshi, 2/14, Jharenshwar Complex, Jawahar Chowk, New Market, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) EIA Consultant: Congnizance Research India (P) Ltd., Noida (UP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil -

Sehore, Dist. Sehore (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक के ई—मेल दिनांक 09/06/202 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट किये जाने के अनुरोध अनुसार सिया के पत्र कमांक 1176 दिनांक 15/07/22 द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जोशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 702 दिनांक 16/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 09.60 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसके पेज न. 08 की तालिका न. 39 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 531 दिनांक 23/5/22 द्वारा सिहोर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है, जिसके गौण खिनज की सूची की तालिका क्रमांक—4 पर भी प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 140 मीटर पर रोड, उत्तर दिशा में लीज से लगा हुआ (शेड का कुछ भाग लीज के अंदर) तथा पश्चिम दिशा में 25 मीटर पर नदी है । अतः नदी से कम से कम 75 मीटर का सेट बेक तथा लीज के उत्तर दिशा में स्थित शेडो का विवरण मय फोटोग्राफ एवं संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान खुदी हुई है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन् कार्य किया गया है तथा एक क्रेशर भी स्थापित है अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण को सरफेस मेप पर पुराना पिट के रूप में दिखाया गया है। माइन प्लान के चेप्टर—5 पेज नं. 18 में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है जबकि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के लीज

आर्डर दिनांक 15/04/10 के बिंदु क्रमांक—10 अनुसार ब्लास्टिंग/ विस्फोटक प्रतिबंधित किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में स्पष्ट प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

- 1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 140 मीटर पर रोड, उत्तर दिशा में लीज से लगा हुआ शेड (शेड का कुछ भाग लीज के अंदर) तथा पश्चिम दिशा में 25 मीटर पर नदी है । अतः नदी से कम से कम 75 मीटर का सेट बेक तथा लीज के उत्तर दिशा में स्थित शेडो का विवरण मय फोटोग्राफ एवं संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. माइन प्लान के चेप्टर—5 पेज नं. 18 में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है जबकि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के लीज आर्डर दिनांक 15/04/10 के बिंदु क्रमांक—10 अनुसार ब्लास्टिंग/विस्फोटक प्रतिबंधित किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में स्पष्ट प्रस्ताव ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. खदान खुदी हुई है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन् कार्य किया गया है तथा एक क्रेशर भी स्थापित है अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. में प्रस्तुत करे।
- 4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 6. आंवटित खदान क्षेत्र पथरीला है, अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि क्या इस क्षेत्र में वृक्षारोपण संभव है, यदि हॉ तो किस प्रकार किया जायेगा तथा यदि नहीं तो वृक्षारोपण किस जगह किया जायेगा ।
- 7. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
- यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

#### १४. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – ग्वालियर (म.प्र.) ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 11304 दिनांक 14/07/22 के माध्यम से जिले की 02 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (1. जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला — ग्वालियर (म.प्र.) — एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला — ग्वालियर (म.प्र.) — राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को दिनांक 18/7/22 को प्राप्त हुई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 18/7/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 586 वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में प्रस्तावित की गई।

इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021—2022 प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 586 वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसमें श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी ऑन लाईन उपस्थित थे । चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि :--

#### जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्वालियर (रेत खनिज)

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई जगह पर अग्रेजी का मेटर लगातार लिख गया है (Text mixed with other word) इस त्रुटि को दूर कर पुनरिक्षित किया जावें।
- ▶ तिलका कृ0. 13.3 (पेज −27) मे नदी वार जो रेत लीज में उपलब्ध मात्रा की गणना की गयी है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। अतएव इसका पुनरिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ /घिड़ियाल /

मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

#### जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्वालियर - गौण खनिज (Minor Mineral)

- निता क0. 9.2 एंव 9.3 जिसमें गौण खनिज की जानकारी प्रदाय की गयी है उसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप नहीं है अतएव गौण खनिज की सम्पूर्ण तालिकाओं का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।
- ▶ बिन्दु क0. 19 एंव 19.1 में प्रदाय की घाटीगांव इको सेंसिटिव जोन की जानकारी के अंर्तगत ESZ सीमा की जानकारी एंव ESZ में आने वाले गांवो की जानकारी का समावेश किया जायें अथवा मंत्रालय द्वारा जारी इको सेंसेटिव जोन संबंधी अधिसूचना संलग्न की जाये।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

# 15. Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/remains absent from the SEAC meeting:

Cases tabulated below were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited or reply/ proposal is incompleted.

Committee observed that PP's of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694<sup>th</sup> meeting dated 26/11/21 and according to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting	Reason for recommending
	-	details in which	for delisting
		query/clarification	
		was sought from PP	
1.	Case No 9204/2022 M/s Rewa	Q-576 dated 10/6/22	On dated 20/07/22, PP has
1.	Minerals and Company, Partner, Shri		submitted online request vide
	Akhand Pratap Singh, Ward No. 26,		letter dated 12/07/22 that
	Pandav Nagar Saman, Tehsil -		they intends to withdraw
	Huzur, Dist. Rewa, MP - 486001,		their project. Committee
	Prior Environment Clearance for		accepts the request of PP and
	Stone Quarry in an area of 2.0 ha.		recommends that the case
	(18468 Cum per annum) (Khasra No.		may be withdrawn (delisted)
	8/2/1/2), Village - Harraha, Tehsil -		as per PP's request.
	Mauganj, Dist. Rewa (MP)		
2.	Case No 9205/2022 Shri	Q-576 dated 10/6/22	The reply to ADS is not
2.	Madhusudan Patidar S/o Shri		received on PARIVESH
	Harivallabh Patidar, Richhalamuha,		within 30 days, hence project
	Tehsil - Dalouda, Dist. Mandsaur,		may be delisted.
	MP - 458002, Prior Environment		
	Clearance for Stone Quarry in an		
	area of 4.0 ha. (42180 Cum per		
	annum) (Khasra No. 113), Village -		

	Arniyagurjar, Tehsil - Mandsaur,		
	Dist. Mandsaur (MP)		
3.	Case No 9138/2022 Shri Kamran Khan S/o Shri Iqbal Hussain Khan, 105, Badribagh Colony, Manik Bagh Road, Dist. Indore, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, M-sand - 75000 cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP) [264200]	Query – 570 dated 11/5/22 Q- 578 <sup>th</sup> dated 16/06/22	PP has submitted online information today i.e. 21/07/22 but the DSR of Dhar district is not approved till date, hence sent to SEIAA for necessary action.
4.	Case No 7474/2020 Shri Shankar Kol S/o Shri Shivdas Kol, Village - Akauna, Post - Aber, Tehsil - Rampur Baghelan, Dist. Satna, MP, SIA/MP/MIN/54700/2020 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.619 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 1180/1 Gha), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) (EIA)	Q- 578 <sup>th</sup> dated 16/06/22	The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.
5.	Case No 8940/2022 M/s NICDC Vikram Udyogpuri Ltd, Administrative Building, New Plot No. 152, Village - Narwar, Dist. Ujjain, MP - 456664, Prior Environment Clearance for Proposed 1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD at Plot No. 64, Zone-II, Vikram Udyogpuri, Dist. Ujjain (MP) [70646] (TOR)	Q- 578 <sup>th</sup> dated 16/06/22	The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.
6.	Case No 9215/2022 Shri Nilesh Raghuvanshi S/o Shri Vishnu Singh Raghuvanshi, Pahadsinghpura, Raghuvanshi Path, Mangal Bhawan, Dist. Khargone, MP - 451001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 07), Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, Dist. Khargone (MP) [275598]	Q- 578 <sup>th</sup> dated 16/06/22	The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

#### 16.जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला - छतरपुर (रेत खनिज) (संशोधित).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) से प्राप्त संशोधित (Rivesed) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी, जिसमें खिनज विभाग, छतरपुर की ओर से श्री अमित मिश्रा विडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुये थे। उक्त संदर्भित बैठक मे समिति ने विस्तृत चर्चा एंव रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप सभी बिंदुओ की जानकारियों अद्यतन कर प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खिनज अधिकारी को दिये थे।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण समाघात प्राधिकरण (SEIAA) ने दिनांक 05/07/2022 को ई—मेल के माध्यम से पुनः संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को परीक्षण हेतु सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है। जिला कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर, म.प्र. के पत्र क0. 1516 दिनांक 30/06/2022 के माध्यम से पुनः संशोधित रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) की हार्ड कॉपी प्रेषित की गयी थी। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक समिति की सदस्यों दिनांक 08/06/2022 को सॉफ्ट कॉपी अवलोकन एवं मतांकन हेतु प्रेषित की गई। उक्त संशोधित डी.एस.आर. पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 585 वीं बैठक दिनांक 13/07/2022 में प्रस्तावित की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 585 वीं बैठक दिनांक 13/07/22 में छतरपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग छतरपुर की ओर से श्री अमित मिश्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुये। चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप जानकारियों को अद्यतन कर प्रस्तुत किया गया हैं। समिति ने पाया कि छतरपुर जिले की यह संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पूर्व में जिला समिति (बैठक दिनांक 18/05/22) से अनुमोदित है तथा 30 दिवस तक जिले के पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु रखी जा चुकी है। समिति ने पाया कि समिति द्वारा पूर्व की बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार हेतु जो सुझाव दिये गये थे (जैसे माइनेबल मिनरल पोटेशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेशियल लीजवार विवरण की जानकारी निर्धारित प्रपन्न साथ ही स्वीकृत 48 रेत खदानों के कोर्डीनेट्स (Co-ordinates) के अनुसार लीजवार गूगल (KML Files) CD) में सुधार कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) प्रस्तुत की गयी है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खिनज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 1516/खिनज/2022, दिनांक 30/06/22 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत

टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये ।

17. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 के माध्यम से सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरणों पर चर्चा ।

समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/6/22, 579वीं बैठक दिनांक 17/6/22, 580वीं बैठक दिनांक 23/6/22, 581वीं बैठक दिनांक 24/6/22, 582वीं बैठक दिनांक 29/6/22, 583वीं बैठक दिनांक 30/6/22 तथा 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में की गई अनुशंसाओं को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण ने सेक को उनकी 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय निम्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पुनः अग्रेषित किया है :--

- अ. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण्सा के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा ।
- ब. प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/आफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये ।
- स. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है । चूँिक उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है । अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को सिया को प्रेषित किया जाये ।

समिति द्वारा उपरोक्त सभी बिंदुओं पर बैठक के दौरान चर्चा की गई तथा निर्णय लिया कि :--

Ф.	सिया की 735वी बैठक दिनांक	सेक द्वारा लिया गया निर्णय
	11 / 7 / 22, 736वी बैठक दिनांक	
	12 / 7 / 22 तथा 737वी बैठक	
	दिनांक 13/7/22 में लिए गए	

#### निर्णय

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं 1. जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल निर्धारित पर ऑनलाईन प्रकिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण्सा के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालयों / अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में को मान्नीय दस्तावेज न्यायालयों / अधिकरण प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा ।
- सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है।
- ✓ कृपया मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 108 दिनांक 31/01/22 (जो सिया को भी संबोधित है) का अवलोकन हो, जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया है मान्नीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आवेदित प्रकरणों को समय—सीमा में निराकृत किये जाने के निर्देश दिए गए थे।
- √ ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र कमांक 314 दिनांक 30 / 03 / 22 (जो सिया को भी संबोधित है) के अनुसार बी−1 श्रेणी के प्रकरणों हेतु 80 कार्यदिवस तथा बी−2 श्रेणी हेतु 40 कार्यदिवस की समय─सीमा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत् निर्धारित की गई है ।
- ✓ उपरोक्त निर्देशों के पालनार्थ ही सेक द्वारा प्रकरणों के त्विरत निपटान की

(ऑनलाईन/आफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये ।

- पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया में जब कोई प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जाता है तो उसमें परियोजना प्रस्तावक / फर्म का नाम एवं अन्य विवरण उल्लेखित होते हैं ।
- ✓ ऑनलाईन प्रकिया में ही प्रत्येक प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा चयनित पर्यावरणीय सलाहकार फर्म का नाम तथा उसके क्यू.सी.आई. एकीडिटेशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना एसओ कमांक 648 (ई) दिनांक 03/03/16 के अनुरूप सिर्फ क्यू.सी. आई. एकीडेटेड सलाहकार को ही (जिसे परियोजना प्रस्तावक ने उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया है) सेक के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने दिया जाता है ।
- √ इसी प्रकार सिया द्वारा जारी दिशा—निर्देश (पत्र क्रमांक 2278 दिनांक 13 / 10 / 21 एवं 1216 दिनांक 20 / 6 / 21) के द्वारा भी परियोजना प्रस्तावकों से शपथ—पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) प्राप्त किया जाता है जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम तथा पंजीकृत योग्य पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण दर्ज होते हैं। इन शपथ—पत्रों के अपलोड करने के पश्चात् ही प्रकरण सिया द्वारा स्वीकार कर पंजीबद्ध किया जाता है।
- √ सिया द्वारा पुनः प्रेषित कई प्रकरणों में जिनमें पर्यावरणीय सलाहकार / परियोजना प्रस्तावक (जो प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित हुए थे) के नाम का उल्लेख है, को भी पुनः सेक को अग्रेषित किया गया है ।
- ✓ उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना

प्रस्तावक का नाम/फर्म का नाम पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म में पूर्व से ही उपलब्ध होते है, अतः पुनः उनका कार्यवाही विवरण में उल्लेख करने का औचित्य नहीं है, फिर भी परियोजना प्रस्तावक तथा सलाहकार का नाम कार्यवाही विवरण में लिखे जाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा हैं।

- ✓ यदि सिया सेक की उपरोक्त अनुशंसा से सहमत न हो तो भविष्य में परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन / आफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम कार्यवाही विवरण में अंकित किया जाये।
- √ अतः समिति का मत है कि पूर्व में जिन
  प्रकरणों पर सेक द्वारा अनुशंसा की जा
  चुकी हैं उनको उपरोक्त निर्णय के
  पिरप्रेक्ष्य में सिया को पुनः अग्रेषित किया
  जाये (संलग्न सूची क्मांक—1)
- पर्यावरण. \_\_\_ वन एवं जलवायु 3. परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है । चॅकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है । अतः प्राधिकरणं द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को सिया को प्रेषित किया जाये ।
- √ समिति इस बात से सहमत है कि "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है" ।
- ✓ मान्नीय सर्वोच्च न्यायाल, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील कमांक 4503 / 2022 में दिनांक 20 / 07 / 22 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है :--
  - "No mining shall be carried out in terms of the e-auction dated 16/11/21 without finalizing the District Survey

Report".

संभवतः छतरपुर जिले के रेत खनन् से संबंधित प्रकरण है ।

- ✓ यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा जो भी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति को प्राप्त हो रही है उनका त्वरित परीक्षण कर मतांकन से सिया को अवगत कराया जा रहा है ।
- ✓ सिमिति की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 में लिए गए निर्णय के अनुरूप सदस्य सिचव के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 18/07/22 के द्वारा (प्रतिलिपि सिया को भी पृष्ठांकित है) समस्त कलेक्टरों, सभी संबंधित जिला खनिज अधिकारियों एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को शीघ्र नवीन जिला संवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी प्रसारित किये गये है ।
- ✓ अवगत होना चाहेंगे कि सिया द्वारा सेंड माईनिंग के कुछ प्रकरणों में (सिया की 719वीं बैठक दिनांक 21/04/2022—प्रकरण कमांक—7733/2020 के कार्यवाही विवरण अनुसार) सशर्त अनुमति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि —

"मान्नीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22/02/22 एवं 04/03/22 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सनिश्चित किया जायेगा"।

- ✓ किंतु समिति इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसे प्रकरण जिनको बिना नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सिया द्वारा ऑनलाईन स्वीकार कर लिया गया है, तथा सेक को इस मत के साथ वापिस भेजा गया कि
  - "नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा के पश्चात् इन प्रकरणों को सिया को प्रेषित किया जाये"
- ✓ अतः समिति का मत है कि सिया द्वारा पुनः परीक्षण हेतु जब तक संबंधित जिलों की नवीन / संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण सेक द्वारा किया जाकर उसका अनुमोदन सिया द्वारा नहीं किया जाता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को या तो डिलिस्ट किया जाये या abeyance में रखा जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया / सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।
- अतः समिति का मत है कि जिला सर्वेक्षण रिपार्ट के परिप्रेक्ष्य प्राप्त सभी प्रकरणों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये । (संलग्न सूची क्रमांक—1)
- 4. प्रकरण कमांक 9137/2022 Shri Shiv Narayan Malviya, Owner, Village - Lagsari, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali,
- यह प्रकरण सेक 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 एवं **578वी बैठक दिनांक** 16/06/22 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में सिया प्रेषित किया था ।
- √ अवगत होना चाहेंगे कि सिया द्वारा 02
  बार यह प्रकरण वापिस किया गया है ।
- √ सिया की 735वीं बैठक दिनांक 11/07/22 में यह सूचित किया है कि बी—1 अथवा बी—2 श्रेणी का है, इसके

# Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP)

#### विस्तृत परीक्षण हेतु सेक समिति का गठन किया गया है । तत्संदर्भ में लेख है कि :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन कार्यप्रणाली हेतु जारी मैन्युअल फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तथा मैन्युअल फॉर स्टेट पोर्टल (जो परिवेश म.प्र. की बेवसाइट पर उपलब्ध है) में निम्न प्रावधान निहित हैं :-

ONLINE SUBMISSION AND MONITORING OF ENVIRONMENTAL CLEARANCES (OSMEC)

## 1.4.2 SEIAA (STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY)

After receiving the proposal online, SEIAA can examine the proposal for its completeness and the same will be forwarded (after assigning SEIAA file no.) to SEAC (State Environment Appraisal Committee). If proposal is not complete, SEIAA can raise query and may ask PP to submit the complete proposal. If proposal is complete, the same will be forwarded by SEIAA to SEAC for their recommendation. The proposal will come again to SEIAA after the completion of process from SEAC, the SEIAA would process it and will upload the decision.

## 1.4.3 SEAC (STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE)

After receiving the proposal online from SEIAA, the concerned SEAC can view the proposal (Form-1 and other documents) submitted by PP. They will examine it and may raise query (if any) to SEIAA. After that, SEAC will conduct the meeting and upload the agenda, minutes of the

meeting and recommendation of SEAC on the portal. If, they upload the recommendation, the proposal would be forwarded automatically to SEIAA.

- अतः समिति का मत है कि उपरोक्त प्रावधानो के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की सभी मायनों में स्कूटनी सिया के स्तर पर ही हो जानी चाहिए । प्रकरण किस श्रेणी का है यह एक प्रशासनिक स्तर का निर्णय है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सिया द्वारा किया जा रहा हैं, ऐसा मानते हुए समिति द्वारा कार्य संपादन किया जा रहा था, क्योंकि पूर्व में सिया द्वारा कई प्रकरणों में आवेदक के बी-2 श्रेणी में आवेदन करने पर ई.डी.एस. के माध्यम से उसको यह सूचित किया गया है कि आपका प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः आप टॉर के लिए आवेदन करें (सुलभ संदर्भ हेतू कृपया ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक— SIA / MP / MIN /191260/2021 SIA/MP/MIN/ तथा 195481 /2021 का अवलोकन हो)
- √ सेक में यदि प्रकरण के गूगल इमेज के आधार पर परीक्षण के दौरान कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे कार्यवाही विवरण में उल्लेख कर संबंधित प्राधिकारी से जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है अत: उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि जब तक प्रकरण तकनीकी रूप से परीक्षण हेत् स्वीकार योग्य न हो, उसे स्वीकार कर सेक को न भेजा जाये, क्योंकि सेक का दायित्व प्रकरणों को अपने स्तर पर लम्बित रखना न होकर त्वरित तकनीकी परीक्षण कर अनुशंसायें सिया को प्रेषित

किया जाना है ।

✓ परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/07/22 को ई—मेल के माध्यम से एक पत्र (जो सिया की बैठक दिनांक 26/05/22 के संदर्भ में सदस्य सचिव, सिया को संबोधित है) प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, कार्यालय कलेक्टर, जिला धार का पत्र क्रमांक 884 दिनांक 30/06/22 प्रेषित किया है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि

''इस कार्यालय से जारी एकल प्रमाण पत्र कमांक 471 दिनांक 29/03/22 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदानों का विवरण दिया था, किंतु आपके द्वारा एक अन्य खदान (सिया प्रकरण क्रमांक 6128/2019 रकबा 03.00 हे.) 500 मीटर की परिधि में होना दर्शाया हैं । उपरोक्त खदान का मौका निरीक्षण किया गया तथा उक्त खदान के डीजीपीएस सर्वे के अनुसार अक्षांश-देशांश लिए, जिसमें उपरोक्त खदान (सिया प्रकरण कुमांक 6128 / 2019 रकबा 03.00 हे. श्री आयुष पिता राजकुमार मालवीय निवासी,बाग) 500 मीटर की परिधि से बाहर होना पाई गई। दोनों खदानों के नक्शों अक्षांश-देशांश सहित तथा गूगल नक्शें पर 500 मीटर परिधि में स्थिति खदानों को दर्शाने वाला नक्शा पत्र के साथ संलग्न है, तद्नसुर प्रश्नाधनी खदान 500 मीटर परिधि में 02 खदानें ही स्थित है''।

- ✓ खनिज अधिकारी के उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि इस खदान के 500 मीटर की परिधि में सिर्फ 02 ही खदानें है ।
- √ अतः समिति का मत है कि चूँकि उनके
  द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में ही अनुशंसा
  की जा चुकी है, अतः उन्हीं अनुशंसाओं
  (सेक 570वीं बैठक दिनांक
  11 / 05 / 22) को मान्य करते हुए

प्रकरण पुनः सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

- ✓ सिमिति का यह भी मत है कि दिनांक 13/07/22 को सिया एवं सेक की औपचारिक चाय पर चर्चा के दौरान भी इन बिंदुओं को चर्चा कर निराकृत किया जा चुका था तथा सिमिति ने अपने मतों से भी उस दौरान अवगत कराया था। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि दिनांक 13/07/22 को उपरोक्त बिंदुओं के साथ–साथ निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई थी जिसके संदर्भ में ध्यान दिया जाना उचित होगा :—
  - मॉनिटरिंग कम्पलाइंस का सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता ।
  - सेक में अभी तक प्राप्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में वृक्षारोपण की स्थिति नगण्य है, अतः ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर उचित कार्यवाही ।
  - जिन खदानों को पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई है, उनके द्वारा आज दिनांक तक सी.ई.आर. के तहत् क्या—क्या कार्यवाही की गई हैं।
  - पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्त "06 माही पालन प्रवितेदन" के संदर्भ में कार्यवाही ।

संलग्न सूची क्रमांक-1

Sr.	Case no.	Activity	Comments	DSR	Status	&	Online	PP/C	Consult	ant
No.		mentioned		submissi	ion of qu	ery r	eply.	Nam	e	
		DSR Table no /								
		Sr. no.								
1.	8148/21	The lease details	Mentioned in the DSR but	DSR app	proved			The	name	of

	are mentioned	PP name is different.		PP and their
	are mentioned in the DSR's under heading of list of minor mineral of in the district: Tehsil Chhatarpur Table no. 5 at Sr. no. 18 on page no. 53.	The lease has been transfer from Shri Abhyant Singh Gaur S/o Shri Surendra Singh Gaur to Siyraram Stone Crusher Partner Shri Pramod Sahu vide transfer order no. 6341/khanij/2018 dt. 17.12.2018 (refer page no. 362 of DSR & Previous CTO is attached as Annexure-18) The proposed stone mine lease has been renewed through the collectorate office Chhatarpur in favour of M/s Siyaram Stone Crusher having lease area— 4.0 ha at khasra No. 1456/3, village-Sarani, tehsilChhatarpur and district- Chhatarpur (M.P.) by office of the Collector (Khanij Branch) districtChhatarpur, vide Order No. 3461/Khanij/2020, Chhatarpur, dated 28/11/2020 (Letter of Intent (LOI) is attached as an Annexure-2).	सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के वौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है । समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of Environmental consultant has already been mentioned in the minute of the meeting.
2. 9231/22	Lease details are not found in the DSR	Not Mentioned in the DSR	प्रेक्ष approved  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name PP has already been mentioned in the minutes in project title of the case.
3. 6769/20	The lease details are mentioned in the DSR's	Mentioned in the DSR but Khasra no. is different.	DSR under revision. सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु	The name of PP and their consultant is
	under heading of list of minor mineral mines	Khasra no. written as 85/2/2 .other details are	प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु	mentioned in the online application.

4.	6770/20	in the district Table no. 03 at Sr. no. 09 on page no. 11  The lease details are mentioned in the DSR's under heading of list of minor mineral mines in the district Table no. 03 at Sr. no. 08 on page no. 11		तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।  DSR under revision.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूड्रंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of Environmental consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting  The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of Environmental consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting
5.	9214/22	The lease details are not mentioned in the DSR page no.37-41. Table no. 10 wherein related details area given.	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेसा" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of Environmental consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting
6.	9137	The lease details are not	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision.	The name of PP and their

				जेक वाग पर्यावसारिए अभिप्रवीकृति 🛬	
		mentioned in the DSR page no.27-31 , Table no. 07 wherein related details area given.		सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	consultant is mentioned in the online application.  The name of PP's name is already been mentioned in the minute of the meeting
7.	9223/22	The lease details	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision.	
		are not mentioned in the DSR		सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समित उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
8.	9119/22	DSR submitted by District Mining Officer	Mentioned in the DSR.  Page no. 35 table no. 9.3 sr. no. 165 Minor difference in lease area 2.332 and PP's address	DSR yet to be approved.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.

				को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
9.	9222	DSR submitted by District Mining Officer	Mentioned in the DSR Page no. 35 table no. 9.3 sr. no. 160	DSR yet to be approved.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
10.	9221	DSR not submitted by District Mining Officer	DSR not submitted	The DSR is not submitted by the District Mining Department (not even in old DSR — lease is newly sanctioned).  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
11.	6376/19	The lease details are not mentioned in the DSR page no. 11- 14, Table no. 08 wherein related details area given.	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.

				दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो सिमित उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सिहत आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है सिमित की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	Environmental consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting
12.	6534/19	The lease details are not mentioned in the DSR page no. 11- 14, Table no. 08 wherein related details area given.	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of Environmental consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting
13.	9224/22	The lease details are not mentioned in the DSR	Not Mentioned in the DSR	DSR under revision.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting
14.	9225/22	The DSR is not submitted by the	The DSR is not submitted by the District Mining	The DSR is not submitted by	The name of PP and their

		District Mining	Department	the District Mining	consultant is
		Department	Department		mentioned in
		Department		Department  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
15.	9210/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
16.	7555/20	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of Environmental

				दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो सिमिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सिहत आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है सिमिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	consultant and PP's name are already been mentioned in the minute of the meeting.
17.	9227/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
18.	9228/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूड्रंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती ह समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.

				को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
19.	9245/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
20.	9024/22	The DSR-(stone) is not submitted by the District Mining Department	Only sand DSR is approved	Stone DSR under revision. सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्नेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्नेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
21.	9230/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	DSR yet to be approved.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.

				अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
22.	9243/22	The lease details are mentioned in the DSR page no. 14, Table no. 4 Sr. no. 55 wherein related details area given.	Mentioned in the DSR	सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्विरत एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
23.	8581/22	The lease details are mentioned in the DSR page no. 11, Table no. 4 Sr. no. 25 wherein related details area given.	Mentioned in the DSR	सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरणां का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
24.	9244/22	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department (Newly sanctioned lease also not appearing old DSR)	
25.	9250/22	The DSR is not submitted by the District Mining	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department	_

		Doportment		_	
		Department		सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के वौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के वौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
26.	6638/19	The DSR is not submitted by the District Mining Department	by the District Mining	The DSR is not submitted by the District Mining Department  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
27.	9009/22	On page no. 108 sr. no. 46 pariatly details are matching but lease area is different.		Mentioned in the DSR  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि	

				उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
28.	9249/22	Details are not given in the DSR	Not Mentioned in the DSR  Details are not given in the DSR	Not Mentioned in the DSR सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
29.	9206/22	DSR has not submitted	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department.	The name of PP and their consultant is mentioned in the online application.  The name of PP is already been mentioned in the minute of the meeting.
30.	6417/19	DSR has not submitted	The DSR is not submitted by the District Mining Department	The DSR is not submitted by the District Mining Department.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्नेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों	

				को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
31.	9162/22	Major mineral	Major mineral	Major mineral	Please note
J1.	7102/22	iviagor minierar	Wagor mineral	Wagor mineral	that name of
					PP and their
					Env.
					Consultant has
					mentioned in
					the minutes of
					meeting please
					refer 582 <sup>nd</sup>
					SEAC meeting
					dated 19/06/22
					SEAC minute.
32.	9200/22	DSR has not	The DSR is not submitted	The DSR is not submitted by	The name of
32.	9200/22	submitted	by the District Mining	the District Mining	PP and their
		Submitted	Department Vinning	Department.	consultant is
			Department	Department.	mentioned in
					the online
					application.
					The name of
					PP is already
					been
					mentioned in
					the minute of
					the meeting.
					the meeting.
33.	8670/21	On page no. 166	Mentioned in the DSR	DSR under revision.	The name of
		sr. no. 166 lease			PP and their
		details are		सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु	consultant is
		given.		प्राप्त प्रकरणों को "ईज् ऑफ डूइंग	mentioned in
				बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित	the online
				एवं समय–सीमा में निराकरण हेतु	application.
				तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना	
				प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के	The name of
				दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो	PP is already
				समिति उसे स्वीकार कर परियोजना	been
				प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के	mentioned in
				साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा	the minute of
				सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की	the meeting.
				जाती है समिति की अनुशंसा है कि	
				उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः	
				अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में	
				प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी	
				मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	
				च्या राजा चरा द्वार अशावरा विस्य आया	
34.	9159/22	The DSR is not	The DSR is not submitted	DSR Not received.	The name of
		submitted by	by the District Mining		PP and their
		the District	Department.	सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु	consultant is
		Mining		प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग	mentioned in
		Department.		बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित	the online
				एवं समय-सीमा में निराकरण हेतु	application.
				तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत	The name of
				प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना	PP is already
				प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के	been
	1	1		<u>I</u>	0.0011

				दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सिहत आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	mentioned in the minute of the meeting.
35.	9256/22	The lease details are not mentioned in the DSR	DSR is under revision	DSR under revision.  सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय—सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

#### Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
  - नोट 1:— स्थल विशेष<sup>ँ</sup> हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
  - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
  - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
  - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
  - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
  - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

#### नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

- side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
- h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
- i. Minable Potential of sand mine.
- j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action
- 38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतू निर्देश।
  - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	बनाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

#### नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तूरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षी तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - 1. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - o. Minable Potential of sand mine.
  - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
  - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
  - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
  - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
  - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
  - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
  - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

#### नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

सीड—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### Annexure- 'D'

#### General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
  - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
  - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
  - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
  - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
  - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
  - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

#### नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

## FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained